

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम काडू
किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-53 सन्-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-53/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
06.01.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम जटवाड़ा भूमि ख0न0 649 कुल अतिक्रमित रकबा 0.0050 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ते पर गैर सायल काडू पुत्र बोदया जाति मीना निवासी जटवाड़ा द्वारा मेड़बन्दी कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। गैर सायल के पुत्र से नोटिस तामिल कराने पर भी गैर सायल न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही गैर सायल द्वारा न्यायालय हाजा में कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत 91 की रिपोर्ट के आधार पर ही गैर सायल का अतिक्रम साबित होता है। गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.22 रुपये का 50 गुणा 11 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

रा0 ल0 सं0 4 वर्ष 22-23 की

रा0 सं0-64 पर-# रु

दंग कायम की गई।

तहसील राजस्व लखाका

नायब तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)

